अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
23/05/2022	**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस0 ए0 आर0 पुनरीक्षण 08/2012** **निर्मल कुजूर बनाम् किनू उरांव एवं सुखे उरांव** प्रश्नगत् पुनरीक्षण आवेदन उपायुक्त, राँची द्वारा एस0 ए0 आर0 अपील नम्बर–49-R15/2009-10 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। प्रश्नगत् वाद में ग्राम–खिजरी, खाता नम्बर–34, प्लॉट–191, रकबा–1.42 एकड़ भूमि एवं प्लॉट नम्बर–815, रकबा–3.67 एकड़ भूमि जो विपक्षियों के दखल में है, के वापसी हेतु आवेदक को निम्न न्यायालयों द्वारा खारिज किया गया है। आवेदकों के आवेदन के आलोक में बलदेव पूर्ति के कब्जे रही 0.70 एकड़ भूमि वापसी की जा चुकी है, किन्तु अन्य वर्तमान वाद के विपक्षियों के कब्जे वाले भूमि को वापस नहीं किया गया है। प्रश्नगत् वाद में आवेदक के द्वारा अंतिम हाजिरी दिनांक–02.12.2019 को दायर की गयी थी, उसके पूर्व ही आवेदक भी उपस्थिति नियमित नहीं थी। विपक्षी क्रमांक–02 लगातार न्यायालय में उपस्थित रहे हैं। दिनांक–03.01.2022 तथा 17.01.2022 को मौका देने के पश्चात् भी आवेदक उपस्थित नहीं हुये। पुनः दिनांक–21.03.2022 को आवेदक अनुपस्थित रहे तथा उक्त तिथि को दिनांक–11.04.2022 को एक अंतिम मौका निर्धारित किया गया। इस निर्धारित तिथि को भी आवेदक अनुपस्थित रहे। अतः विपक्षी क्रमांक–02 के पक्ष को सुना गया तथा उभयपक्षों को अपने लिखित बहस दायर करने हेतु पुनः एक मौका दिया गया। किसी भी पक्ष द्वारा लिखित बहस दायर नहीं की। आवेदकों का दावा है कि विपक्षियों द्वारा प्रश्नगत् भूमि अवैध तरीके से एवं फर्जी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में प्रस्तुत करते हुये क्रय की गयी है। निम्न न्यायालयों द्वारा उनके तथ्यों को उचित तरीके से परीक्षण किये बिना भूमि वापसी के दावे को खारिज कर दिया गया। विपक्षी क्रमांक–02 के तरफ से कहा गया कि प्रश्नगत् भूमि खतियानी रैयत के वंशज दाऊद उरांव द्वारा उन्हें बिक्री की गयी थी। उक्त बिक्री के पूर्व उपायुक्त से अनुमति वाद संख्या–473–R08(ii)/1992-93 के द्वारा विधिवत्	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
	अनुमति प्राप्त की गयी। भूमि क्रय के उपरान्त नामान्तरण कराते हुये वे नियमित रूप से लगान का भुगतान भी कर रहे हैं। इस प्रकार उनके विरूद्ध धारा–71(A) के तहत् यह वाद संधारण योग्य नहीं है। निम्न न्यायालय के अभिलेख एवं आदेश देखने से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत् भूमि आर0 एस0 खतियानी में नन्दा उरांव के नाम पर कायमी दर्ज है। उक्त नन्दा उरांव के पोते दाऊद उरांव द्वारा अनुमति वाद संख्या–473–R08(ii)/1992-93 द्वारा उपायुक्त से अनुमति प्राप्त कर भूमि की बिक्री की गयी है। आवेदक उक्त दाऊद उरांव को एक फर्जी विक्रेता बता रहे है, किन्तु उनके तरफ से इस विषय पर किसी न्यायालय में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। वर्ष–1992–93 में निर्गत अनुमति को मात्र 12 वर्ष तक ही चुनौती दी जा सकती है, जबकि प्रश्नगत् भू–वापसी वाद–2007–08 में दायर की गयी है, जो स्पष्टतः कालबाधित माना जायेगा। भूमि का हस्तांतरण सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त कर निबंधित पट्टा के माध्यम से किया गया है। आवेदक द्वारा निम्न न्यायालय में अपने आप को खतियानी रैयत का पोता बताते हुये दाऊद उरांव के काफी पूर्व मृत्यु हो जाने का भी दावा किया गया था, किन्तु उनके द्वारा कोई भी साक्ष्य अथवा मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कि उनके दावे की सत्यता की जाँच हो सके। निम्न न्यायालयों द्वारा सभी तथ्यों की उचित विवेचना करते हुये आदेश पारित किये गये है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित प्रमण्डलीय आयुक्त प्रमण्डलीय आयुक्त	

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.08.02 12:11:32 +05:30
Location: 192.168.1.40